न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक–07.07.2025

मुकदमा नम्बर 170 / 2025

1. रामकरण पुत्र शंकर राम जाति मेघवंशी निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र शंकर
2. मूलचंद पुत्र शंकर राम
3. शंकर राम पुत्र भूदाराम
4. शारदा पत्नी बाबूलाल
5. सुमन पत्नी विनोद
6. बाबूलाल पुत्र शंकर राम
7. विनोद पुत्र शंकर राम समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
8. उप पंजीयक जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत विभाजन, घोषणा व निरस्त करने गिफट डीड (उपहार पत्र)
दिनांक 23.07.2019, 31.08.2018

–:: निर्णय ::–

दिनांक–06.10.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 406 पुराना 331 की भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 303 रकबा 2.0500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0700 है0 स्थित है। तथा इसी ग्राम में स्थित भूमि खाता संख्या 410 पुराना 374 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 304 रकबा 0.6900 है के संबंध में बने उपहार पत्र दिनांक 23.07.2019 तथा दिनांक 31.08.2018 को निरस्त किया जाकर बंटवारे की शर्तो के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 6 व 7 को 1/5–1/5 हिस्से का बराबर बराबर का हक अधिकार दिया जावे।

भूमि खसरा नम्बर 302 में स्थित शामलाती विधुत कनेक्शन मय पम्प सैट बना हुआ है जिसका कनेक्शन यथावत रखा जावे तथा पावर न बढाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि तादौराने दावा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाकर विवादग्रस्त भूमि को विक्रय आदि नही करें तथा उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बना[illegible]

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने ब[illegible] किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से करवाये [illegible] बावजूद उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में [illegible]कीयात कायम नही की ग[illegible] वादी की ओर से शहादत वादी में रामकरण, दुर्गाप्रसाद तथा राजेन्द्रप्रसाद ने उपस्थित होकर अपने बाफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, पारिवारिक बंटवारानामा, गिफट डीड तथा अनुबंध पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:28:45 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत कृषि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जेकाश्त की पैत्रिक संपति है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य जरिये बंटवारानामा के द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कर दिया गया था। जिसके बावजूद प्रतिवादी सं0 3 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 304 रकबा 0.69 है0 भूमि सम्पूर्ण का प्रतिवादी सं0 4 के पक्ष में उपहार पत्र तस्दीक करवा दिया तथा भूमि खसरा नम्बर 302, 303 कुल किता 2 कुल रकबा 2.070 है0 में से 0.88 है0 भूमि का दान पत्र दिनांक 23.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पक्ष में दान पत्र निष्पादित करवा दिया जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपने हिस्से की भूमि से वंचित कर दिया जो कि न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उक्त उपहार पत्रों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 406 पुराना 331 की भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 303 रकबा 2.0500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0700 है0 तथा भूमि खाता संख्या 410 पुराना 374 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 304 रकबा 0.6900 है0 के संबंध में बने उपहार पत्र दिनांक 23.07.2019 तथा दिनांक 31.08.2018 को निरस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 व 7 को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 302 में स्थित विधुत कनेक्शन मय पम्प सैट का कनेक्शन यथावत रखा जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 07 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि दौराने दावा उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सु[illegible]) (फा. ट्रे.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:28:45 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

<u>दावा बाबत : घोषणार्थ, विभाजन व निरस्त करने गिफट डीड</u>

<u>(उपहार पत्र) दिनांक 23.07.2019, 31.08.2018</u>

मुकदमा सं0:– 170/2025 (रामकरण बनाम ओमप्रकाश आदि)

<u>पर्चा डिक्री</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 06.10..2025 निर्णय अनुसार वाद वादी प्राथमिक रूप स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 406 पुराना 331 की भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 303 रकबा 2.0500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0700 है0 तथा भूमि खाता संख्या 410 पुराना 374 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 304 रकबा 0.6900 है0 के संबंध में बने उपहार पत्र दिनांक 23.07.2019 तथा दिनांक 31.08.2018 को निरस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 व 7 को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 302 में स्थित विधुत कनेक्शन मय पम्प सैट का कनेक्शन यथावत रखा जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 07 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि दौराने दावा उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.10.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:28:45 IST
Reason: SelfAttested